



2026:AHC:28078

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या 2145 वर्ष 2026

लल्लन सिंह
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : धीरज सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है और याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है।

2. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।

3. तदनुसार, याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है और अनुरोध के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

9 फरवरी, 2026

सकलैन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"